



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



प्रेस नोट थाना टूण्डला दिनांक 20-09-2021 जनपद फिरोजाबाद ।

दिनांक 28/29-08-2021 की रात्रि ऑटो चालक के साथ मारपीट कर ऑटो व उसके रूपये लूटने वाले दो शातिर अभियुक्तों को थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा लूट के ऑटो, रूपये व वादी के मोबाइल व अवैध असलाहों सहित किया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा चोर/ लुटेरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के निर्देशन में दिनांक 20.09.2021 को थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान 1. सोनू पुत्र मोतीलाल निवासी राम सिंह के भट्टे के सामने नगला पचिया थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद 2 . कालू उर्फ प्रदीप पुत्र महावीर सिंह निवासी पूजा कालोनी मंगल बाजार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद हाल निवासी बेबी पत्नी सोवरन सिंह का मकान नगला पचिया थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद को भोले ढाबा सतसंग आश्रम टूण्डला से मुखविर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दो अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए तथा पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 0437/2021 धारा 394 भादवि में शामिल होने व माल बरामद होने पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

श्री कमलदीप पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी नगला मोती नई आबादी थाना दक्षिण फिरोजाबाद जो किराये का ऑटो चलाता है दिनांक 28/29-8-2021 की रात लगभग 11.00 बजे मास्टर ढाबा के निकट रोड पर सवारी हेतु खड़ा था तभी दो अज्ञात युवक आये तथा बाघई थाना टूण्डला चलने को कहे जिस पर ओटो चालक (वादी) उपरोक्त दोनो लोगो को बाघई लेकर पहुंचा जहाँ सुनसान रोड के किनारे खेत में ऑटो चालक की दरवाजे में लगाने वाली लोहे की कुण्डी से सिर में प्रहार करके घायल कर दिया तथा उससे 1140 रूपये उसका मोबाइल लेनेवो तथा ऑटो संख्या UP 83 BT 7369 लूटकर लेकर चले गये उपरोक्त के सन्दर्भ में ऑटो चालक / वादी की तहरीरी सूचना पर दिनांक 29.08.21 को मु0अ0सं0 437/21 धारा 394 भादवि बनाम दो व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 31.8.2021 को अभिगण द्वारा आटो को विक्रय करने में सफलता न मिलने पर लालऊ रोड पर उपरोक्त आटो को सुनसान स्थान पर खड़ा कर दिया था जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा उपरोक्त ऑटो को कब्जे में लिया गया तथा मुल्जिमान की तलाश की गयी ।

आज दिनांक 20.09.2021 को अभिगण 1 . सोनू पुत्र मोतीलाल निवासी राम सिंह के भट्टे के सामने नगला पचिया थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद 2 . कालू उर्फ प्रदीप पुत्र महावीर सिंह निवासी पूजा कालोनी मंगल बाजार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद हाल निवासी बेबी पत्नी सोवरन सिंह का मकान नगला पचिया थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद को भोले ढाबा सतसंग आश्रम टूण्डला से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मु0अ0सं0 437/21 धारा 394 भादवि से सम्बन्धित एक लोहे की दरवाजे की कुन्डी , वादी का मोबाइल लेनेवो रंग काला व लूट के 500 रूपये बरामद कर मुकदमा वादी से पहचान कराया गया । जिसकी मुकदमा वादी द्वारा पहचान कर तस्दीक किया गया ।

आपराधिक इतिहास सोनू उपरोक्त:-

- 1.अ0सं0 0437/2021 धारा 394/411 भादवि थाना टूण्डला फिरोजाबाद ।
- 2.अ0सं0 467/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना टूण्डला फिरोजाबाद ।

आपराधिक इतिहास कालू उर्फ प्रदीप

- 1.अ0सं0 0437/2021 धारा 394/411 भादवि थाना टूण्डला फिरोजाबाद
- 2 .अ0सं0 468/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना टूण्डला फिरोजाबाद

बरामदगी---- दो अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कार0 315 बोर व वादी का एक मोबाइल लेनेवो रंग काला व 500 रूपये व एक दरवाजे की कुन्डी (जिससे वादी को घायल किया गया) व ओटो श्रीव्हीलर नम्बर यूपी 83 बीटी 7369 बरामद हुये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद ।
- 2-एचसी 84 गंगीराम मीणा थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद ।
- 3-का0 612 बबलू सिंह थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद ।
- 4-का0 1026 कुलदीप सिंह थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद ।